3

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST-. Bhind (M.P)

Case No
Name and address of the Complainant
भाविक विवस्ते र प्रथम वर्ष
Name , parentage, caste and address of accused
Name, parentage, caste and address of accused
पारा ११ एवं वप्रस की खारा 222 के प्रायमिं को ध्यान में एखते हुए न्यायालय उठने तक की अविध की
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आपने दिनांक निर्मा को समय लगभग ि कि बजे, स्थान कि अंतर्गत थाना हुन के में वाहन के कि साधारण उपहान कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि भा0द0वि0 की धारा अगि के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। Judicial Magistrate First Clas The plea of the accused and his examination (if any)
जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।
Judicial Magistrate Prist Class Cohad distr. Bhine (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे माठद०वि० की धारा

27 के तहत द्रण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखत नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी

को भा.द.वि. की धारा

27 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, भादवि० की धारा 71 एवं दप्रस की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रूपये

विवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकृत की दषा में अभियुक्त को विवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class Gohad disminishind (M.P.)

nder clasue(d) clasuse(f) clause(g